



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



1

सामान्य सूचनाएँ

GENERAL INFORMATION

- 1.1 यह विवरण-पुस्तिका उत्तर-प्रदेश शासनादेश संख्या – 3471/96-आयुष-1-2017-345/2016 दिनांक 4 सितम्बर, 2017 के अनुसार तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ.प्र., लखनऊ से विचार-विमर्श कर तैयार की गयी है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।
- 1.2 शासनादेश संख्या-3544/716-आयुष-1-2017-345/2016 दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के आलोक में भारत सरकार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा प्रसारित परिपत्र में अवगत कराये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2017-18 की प्रस्तावित (सी.पी.ए.टी.) प्रवेश परीक्षा में राज्य के निजी क्षेत्र के ऐसे आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी कालेज, जो अल्पसंख्यक संस्था हैं, की सीटों को भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।
- 1.3 सी.पी.ए.टी.-2017 के परीक्षाफल के प्रकाशन के पूर्व अथवा बाद में, जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार को प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिसमें अनारक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा। साथ ही शासन को आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी समय सी.पी.ए.टी.-2017 से सम्बन्धित आदेशों में संशोधन करने का अधिकार है।
- 1.4 सी.पी.ए.टी.-2017 परीक्षा से सम्बन्धित समस्त विधिक वाद उ.प्र. के इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की लखनऊ खण्ड-पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।
- 1.6 प्रत्येक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सी.पी.ए.टी.-2017 के आयोजन में परीक्षा सम्पादन एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने तक का कार्य लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस विषय में किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क स्थापित करें :-
**चेयरमैन (सी.पी.ए.टी.-2017),
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)-226007.**
- 1.7 मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा।
- 1.8 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सी.पी.ए.टी.-2017 के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाता है, और न ही ऐसे किसी संस्थान से उसका कोई सम्बन्ध है।
- 1.9 कालेजों के नाम, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति तथा नियम इत्यादि, निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ.प्र., लखनऊ द्वारा निर्धारित की गयी है। इसके लिए परीक्षा-आयोजक संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का कोई दायित्व नहीं है।
- 1.10 सी.पी.ए.टी.-2017 हेतु आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी-समस्या के निदान के लिए आवेदनकर्ता **cpatup2017@gmail.com** पर ई-मेल कर अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश वाली प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



2

महत्वपूर्ण निर्देश

IMPORTANT INSTRUCTIONS

- 2.1 कृपया सी.पी.ए.टी.-2017 के आवेदन से सम्बन्धित विवरण पुस्तिका (Brochure) की PDF फाइल को निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in से डाउनलोड कर लें। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त ही आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया सम्पादित करें।
- 2.2 आवेदन केवल ऑन-लाइन ही स्वीकार किया जाएगा। कोई भी आवेदन-पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं होगा। सी.पी.ए.टी.-2017 की वेबसाइट www.cpatup2017.in पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जानी है।
- 2.3 आवेदनकर्ता यदि निर्धारित तिथि तक भुगतान या ऑन-लाइन आवेदन नहीं कर पाते अथवा आवेदन सम्बन्धी त्रि-स्तरीय प्रक्रिया (रजिस्ट्रेशन, ऑन-लाइन-आवेदन, आवेदन-शुल्क-भुगतान) के तीनों चरणों की सापेक्षिक प्रक्रिया नहीं सम्पादित करते, तो ऐसी दशा में आवेदनकर्ता का सी.पी.ए.टी.-2017 में आवेदन सम्बन्धी दावा किसी भी दशा में परीक्षा-निकाय द्वारा पोषणीय/विचारणीय नहीं होगा।
- 2.4 आवेदन शुल्क (नॉन-रिफण्डेबल) – सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए रु. 2000/- मात्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रु. 1000/- मात्र निर्धारित है। बैंक-ट्रान्जैक्शन-शुल्क (यदि कोई है) आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 2.5 इस विवरण-पुस्तिका में उल्लेखित अर्हता-खण्ड के अनुसार ही आवेदक को अपनी पात्रता का आंकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा-निकाय आवेदक की पात्रता का आंकलन नहीं करेगा। पात्रता मूल प्रमाण-पत्रों के आधार पर काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय ही सुनिश्चित होगी। अयोग्य-पत्र प्रवेश के योग्य नहीं होंगे और वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 2.6 ऑनलाइन आवेदन-पत्र रजिस्ट्रेशन करने की अन्तिम तिथि 25-09-2017 है।
- 2.7 आवेदन-पत्र में दी जा रही सूचना के आधार पर आवेदक को सी.पी.ए.टी. परीक्षा में मांगी गयी श्रेणी के अन्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी। किन्तु काउन्सिलिंग के समय काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अन्यर्थी के मूल-प्रमाणक देखे जायेंगे तथा उनके आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि अन्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ अनुसन्धान है अथवा नहीं। केवल इस आधार पर कि सी.पी.ए.टी. परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है, कोई भी अन्यर्थी आवेदित श्रेणी का लाभ पाने का अधिकारी नहीं हो जायेगा। जिस प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा उसके फर्जी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर नया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- 2.8 आवेदन-पत्र में लिखी या दी गयी किसी भ्रामक, गलत तथा तथ्यहीन सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त, जैसी भी स्थिति हो, अन्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा इससे पूर्व यथास्थिति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अथवा काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- 2.9 बायोमेट्रिक पद्धति (शारीरिक चिन्हों जैसे ऊँगली के निशानों अथवा आँखों की पुतलियों द्वारा व्यक्ति विशेष की पहचान की पद्धति) से अन्यर्थी की पहचान का अनुसरण होगा। चयनित अन्यर्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि (परीक्षा, काउन्सिलिंग या प्रवेश के पश्चात) पाये जाने पर अन्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



3 सी.पी.ए.टी.-2017(उ. प्र.) से सम्बन्धित मुख्य तिथियाँ

IMPORTANT DATES FOR CPAT-2017(U.P.)

3.1	Online Application Forms submission	12-09-2017
3.2	Last Date of Form Submission	25-09-2017
3.3	Admit Card Download by candidates from	29-09-2017
3.4	Date of Entrance Examination	04-10-2017
3.5	Declaration of Answer Key	06-10-2017
3.6	Applications invited for scrutiny of answer key	08-10-2017
3.7	Declaration of Result	12-10-2017
3.8	Counselling	16-10-2017 onwards

4 अर्हताएं

ELIGIBILITY

- 4.1 सी.पी.ए.टी. परीक्षा-2017 में अभ्यर्थियों की अर्हताएं निम्नवत होंगी:-
- 4.2 उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।
- 4.2.1 जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- 4.2.2 ऐसे छात्र जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत “सामान्य निवास प्रमाण-पत्र” प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख जो प्रमाण-पत्र-1 (क) पर उपलब्ध है, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 4.2.3 ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो, को प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत “मूल निवास प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो प्रमाण-पत्र-1(ख) पर उपलब्ध है, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 4.2.4 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।
- 4.3 आयु सीमा : – प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की व्यूनतम आयु दिनांक 31.12.2017 को 17 वर्ष से कम न हो अर्थात उसका जन्म 31 दिसम्बर, 2000 के पूर्व हुआ हो।
- 4.3.1 अभ्यर्थी की अधिकतम् आयु प्रवेश की अन्तिम तिथि के दिनांक को 25 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट होगी।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित करना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



4.4

शैक्षिक अर्हता

Educational Qualifications

4.4.1

इंटरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी सी.पी.ए.टी.-2017 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी, जो अर्हकारी परीक्षा-2017 में सम्मिलित हो रहे हों परन्तु सी.पी.ए.टी.-2017 में सफल होने पर संबंधित पाठ्यक्रम में आवंटन तभी अनुमन्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाण—पत्र काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

4.4.2

शासनादेश संख्या—2991 /71-2-12-55 /2012 दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी.पी.एम.टी. परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो जाते हैं उन्हें आगामी सी.पी.एम.टी. परीक्षा में बैठने/काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाय तथा यदि उन्हें काउंसिलिंग के उपरान्त वांछित विधा की सीट आवंटित हो जाती है, तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्याग पत्र देने के उपरान्त नवीन विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये पात्र होंगे। उक्त व्यवस्था सी.पी.ए.टी. 2017 पर लागू रहेगी।

4.4.3

बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस. तथा बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद के रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बी.ए.एम.एस./बी.यू.एम.एस. तथा बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हतायें मान्य होंगी जो निम्नवत् हैं:-

4.4.3.1

सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत अंक।

4.4.3.2

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.5

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सी.पी.ए.टी.-2017 में केवल बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

4.6

यूनानी कालेजों में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सी.पी.ए.टी.-2017 में सम्मिलित होने के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा-10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।



5

परीक्षा प्रक्रिया

MODE OF EXAMINATION

- 5.1 सी.पी.ए.टी.-2017 में वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों अर्थात् जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में परीक्षा ली जायेगी। सी.पी.ए.टी.-2017 परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में प्रत्येक विषय के 45 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 720 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर चयन पर 01 अंक काट लिया जायेगा। प्रश्नपत्र के लिए 3 घण्टे की समयावधि निर्धारित है। सभी विषयों के प्रश्न-पत्र यू.पी. बोर्ड के इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। परीक्षा एक दिन में तथा एक ही पाली में आयोजित की जायेगी।
- 5.2 परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली ओ.एम.आर. उत्तर पत्र कार्बन लेस तीन प्रतियों में (In Triplicate form) होगी, जिसकी प्रथम प्रति आयोजक विश्वविद्यालय के पास, दूसरी प्रति अभ्यर्थी के पास तथा तृतीय प्रति सील्ड लिफाफे में उसी दिन सायं 5:00 बजे तक संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को जिला कोषागार के डबल लाक में रखवाये जाने के लिये अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। इस लिफाफे का निस्तारण शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा।
- 5.3 सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (आज्ञेविटव टाइप) होंगे।
- 5.4 परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न-पत्र बुकलेट परीक्षा कक्ष कक्ष-निरीक्षक को सौंप कर जाना होगा, किन्तु रिट याचिका संख्या-4026 / (एम/बी) ३०५ 2015 के निर्णय के आलोक में छात्रहित में प्रश्नपत्र बुकलेट के सभी सेट परीक्षा के उपरान्त दो कार्य दिवसों की सीमा में वेबसाइट www.cpatup2017.in पर प्रदर्शित कर दिये जायेंगे। परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व दिनांक 6–10–2017 को प्रश्न-पत्र की उत्तर-कुंजी (Answer Key) C.P.A.T.-2017 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in पर प्रकाशित की जाएगी।
- 5.5 सी.पी.ए.टी.-2017 के लिए आयोजक संस्था द्वारा गठित परीक्षक-मण्डल द्वारा प्रश्नपत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप से मान्य होंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन केवल Computer द्वारा ही होगा। किसी भी स्थिति में उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जायेगा परन्तु पुनरीक्षण (Scrutiny) का प्रावधान है। परीक्षा के पश्चात् परीक्षार्थी को O.M.R. Sheet की अभ्यर्थी-प्रति पूर्व में ही प्राप्त है, अतएव आयोजक-विश्वविद्यालय द्वारा O.M.R. Sheet की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
- 5.6 परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाये।
- 5.7 परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉग-टेबल, डिजिटल डायरी इत्यादि या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक संचार उपकरण (सेल्फ्युलर फोन, ब्लूटूथ आदि) लाना वर्जित है।
- 5.8 सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर स्थान ग्रहण करें तथा उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचनाएं प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर लें। इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- 5.9 प्रश्न-पत्र पर लगी हुई सील केन्द्राध्यक्ष के आदेशानुसार ध्वनि संकेत पर कक्ष निरीक्षक द्वारा घोषणा किये जाने पर ही तोड़ें।
- 5.10 प्रश्न-पत्र में सम्मिलित प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होंगे।
- 5.11 परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को विभिन्न सुरक्षा जाँच से गुजरना पड़ सकता है। सी.पी.ए.टी. परीक्षा-2017 के दौरान परीक्षा केन्द्र पर उनकी फोटोग्राफी की जायेगी तथा बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक-डेटा, फिंगर-प्रिंट इत्यादि परीक्षा के समय ग्रहण किया जायेगा। यह प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी और अगर अभ्यर्थी इससे विमुख होता है तो उसके अभ्यर्थन/उम्मीदवारी को निरस्त किया जायेगा।



- 5.12 प्रत्येक छात्र/छात्रा की बायोमेट्रिक डेटा का सत्यापन तीन तिथियों पर किया जायेगा, प्रथमतः काउन्सिलिंग के समय, द्वितीय प्रवेश के तुरन्त पश्चात् तथा तृतीय प्रवेश के बाद छः माह के बाद की तिथि (जो कि प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा संचालित करने वाले विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा)।
- 5.13 आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा जाँच हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति के पश्चात् भी रुकना पड़ सकता है। अतः उचित होगा कि अभ्यर्थी अपनी वापसी-यात्रा की योजना इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए बनाएं।

6

आरक्षण

RESERVATION

सी.पी.ए.टी. परीक्षा-2017 में अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था निम्नवत होगी:-

उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

सी.पी.ए.टी.-2017 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी जाने वाली प्रत्येक मेडिकल कालेज में उपलब्ध प्रत्येक पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत 'उर्ध्वाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :-

अनुसूचित जाति (SC) के अभ्यर्थी 21 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थी 02 प्रतिशत

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थी 27 प्रतिशत

6.1.1 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का तात्पर्य विधायी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1576/17-वि.1-1(क)11-2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम संख्या-1/2002 की 'अनुसूची-क' में इंगित वर्गों से है। पिछड़े वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त अधिनियम 1994 की 'अनुसूची-दो' अधिसूचना संख्या-22/16/12-का 2/1995 टी.सी. दिनांक 08-12-1995 द्वारा यथासंशोधित से आचादित न हो उनके ही पुत्र/पुत्री को उक्त आरक्षण अनुमन्य होगा एवं विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1576/सत्रह-वि-1-1(क)-11/2002 दिनांक 31 अगस्त, 2002 द्वारा अधिसूचित उ.प्र. अधिनियम संख्या-1 सन् 2002 भी प्रभावी होगा।

6.1.2

सामान्य वर्ग (UR) के अभ्यर्थियों के साथ यदि उल्लिखित कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे आरक्षित सीटों में समायोजित नहीं किया जायेगा, जैसा कि इस सम्बन्ध में शासनादेश पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। अतः उपरोक्त में उल्लिखित वर्ग की सीटों को भरने से पहले योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सीटों को भरा जायेगा।

6.2

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

6.2.1

सी.पी.ए.टी.-2017 में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा तथा सभी पाठ्यक्रमों में भरी जाने वाली प्रत्येक कालेज की कुल सीटों पर शारीरिक रूप से विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों को तथा महिला अभ्यर्थियों तथा बी-ग्रेडिंग सहित सी-सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेट को निम्नवत् 'हारिजेण्टल' आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र के पुत्र/पुत्रियों) के लिए 02 प्रतिशत

भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए 02 प्रतिशत

विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 03 प्रतिशत

महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत

बी-ग्रेडिंग सहित सी- सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेट 01 प्रतिशत

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



6.2.2

यह आरक्षण हॉरिजेन्टल प्रकृति का होगा और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य श्रेणियों में से उस श्रेणी में रखा जायेगा, जिससे वह संबंधित है। उदाहरणार्थ यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों)/युद्ध में शहीद/अपंग सैनिकों के पुत्र, पुत्री/विकलांग/महिला अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों की अनारक्षित (ओपेन मेरिट) है तो उसे अनारक्षित (ओपेन मेरिट) में रखा जायेगा। विकलांग अभ्यर्थियों की विकलांगता इस सीमा तक न होगी कि चिकित्सा शिक्षा में बाधक हो। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों), भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों विकलांग श्रेणी एवं बी-ग्रेडिंग सहित सी-सर्टिफिकेट धारी एन.सी.सी. कैडेट के जो अभ्यर्थी इन उपश्रेणियों में आवेदन करेंगे, वह इसी उपश्रेणी की आरक्षित सीट के विरुद्ध समायोजित किये जायेंगे।

6.3

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा :-

6.3.1

आरक्षण के सम्बन्ध में किसी भेद-भाव की आशंकाओं को दूर करने के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं तथा प्रवेश-पत्रों पर श्रेणी का उल्लेख नहीं किया जायेगा। उत्तर-पुस्तिकाओं पर किसी श्रेणी के अभ्यर्थी का अलग से अनुक्रमांक चिन्हित नहीं किया जायेगा।

6.3.2

अनुसूचित जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी पूरी संख्या में उपलब्ध न होने पर इन आरक्षित सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जायेगा।

6.3.3

प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर संगत श्रेणी तथा उप-श्रेणी जिसके अन्तर्गत वह सी.पी.ए.टी.-2017 हेतु अभ्यर्थन कर रहा है, स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा। किसी अस्पष्टता अथवा प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रपत्र पर न होने की स्थिति में उसे सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना जायेगा तथा उसकी श्रेणी को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

6.3.4

विकलांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार विकलांगता प्रमाण-पत्र महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ.प्र. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को उपस्थित होना होगा जो लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर विकलांगता की श्रेणी में काउन्सिलिंग हेतु आमंत्रित किये जाएंगे। मेडिकल बोर्ड लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् प्रथम काउन्सिलिंग के पूर्व बैठेगा।

6.3.5

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

6.3.6

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21-04-2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् केवल जिलाधिकारी द्वारा ही निर्गत आश्रित प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

6.3.7

अभ्यर्थियों को इस सम्बन्ध में काउन्सिलिंग बोर्ड के समक्ष मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा प्रवेश के समय भी सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र से प्रमाणित छायाप्रति की सत्यता की पुष्टि के उपरान्त ही प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



6.3.8 स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-10-2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को सी.पी.ए.टी। के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

7 आवेदन के सन्दर्भ में अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

IMPORTANT INFORMATION REGARDING ONLINE APPLICATION

7.1 आवेदन—पत्र www.cpatup2017.in वेबसाइट पर केवल ऑन—लाइन (ON-LINE) ही भरना है। आवेदन—पत्र किसी भी कागज पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। कृपया अपने आवेदन का प्रिन्ट, ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात् सुनिश्चित कर लें।

7.2 अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अतिशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन तकनीकी व्यवधान के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगा।

7.3 पूरित आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रदत्त सूचनाएं सही हैं।

7.3.1 **फोटोग्राफ़ :** आवेदक का फोटोग्राफ एक जेपीजी (jpg) फार्मेट की फाइल के रूप में होना चाहिए। फाइल के नाम में किसी भी स्पेशल अक्षर (Special Character) का उपयोग न करें। फोटोग्राफ सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाओं का अनुपालन करना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो का विवरण निम्नवत् है :—
“आवेदन के लिए केवल रंगीन फोटोग्राफ खिंचवायें। फोटो खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम तथा फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने गर्दन के सामने अवश्य रखें ताकि वह फोटो में स्पष्ट रूप से छपे। इसकी 10 प्रतियाँ (Passport Size) बनवाकर रखें जो प्रवेश—पत्र, परीक्षा, काउन्सिलिंग, प्रवेश इत्यादि में काम आयेंगी। Sample Photo निम्नवत् है :—

- उत्तम क्वालिटी की रंगीन फोटो का साइज़ 3.5×4.5cm होना आवश्यक है तथा पूरा चेहरा कैमरे को देखते हुए सफेद बैक ग्राउण्ड पर, बिना काले चश्मे, बिना टोपी के होना आवश्यक है।
- सिर से ऊपर से ढुड़ड़ी की दूरी कम से कम 2 से 3 सेमी होनी चाहिए।
- पोलरॉयड कैमरा व इंकजेट प्रिंटर के फोटो मान्य नहीं होंगे।
- निम्न कोटि के फोटो (Low Resolutions Photograph) के साथ किये गये आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।
- फोटो 01 मार्च, 2017 से पहले का न हो।

7.4 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गये उनके विवरण के केवल कुछ ही fields संशोधित किये जा सकते हैं। अपने ईमेल और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके प्रवेश वेबसाइट में लॉगिन करके अभ्यर्थी द्वारा संपादित किया जा सकता है। अगर अभ्यर्थी लॉगिन विवरण भूल गए तो वे Forgot Password लिंक पर विलक करके और पंजीकरण संख्या दर्ज करके अपना पासवर्ड पुनः generate कर सकते हैं। नया लॉगिन विवरण उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ में सबमिट किए गए डेटा और चयनित श्रेणी किसी भी परिस्थिति में संपादित नहीं की जा सकतीं।

7.5 अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

7.6 एक से अधिक बार आवेदन न करें, अन्यथा पहले वाला आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा।

7.7 किसी भी प्रकार के दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

7.8 भविष्य में किसी भी पत्राचार के लिए रजिस्ट्रेशन आई.डी. नम्बर (Registration ID Number) का उल्लेख करें।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन—पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश—परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता—सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे—काउन्सिलिंग, प्रवेश वाली प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण—पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



7.9 आवेदनकर्ता “अभ्यर्थी घोषणा पत्र” (Candidate's Declaration Form) पर विशेष ध्यान दें। ऑन लाइन आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेने पर आवेदन पत्र के साथ द्वितीय पृष्ठ के रूप में “अभ्यर्थी घोषणा पत्र” स्वतः प्रिन्ट हो जायेगा। इसे पूर्णरूप से भरकर अपनी फोटो को चिपका कर सत्यापित करें और अपने मूल हस्ताक्षर, दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप तथा अभिभावक के हस्ताक्षर करवाकर इसे सुरक्षित रख लें। घोषणा पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर आवेदनकर्ता के अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

8 ऑन-लाइन आवेदन हेतु आवश्यकताएँ

REQUIREMENTS FOR ONLINE APPLICATION

- 8.1 वैध ईमेल आईडी
- 8.2 सक्रिय मोबाइल नंबर
- 8.3 यहाँ फार्म भरने के समय आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए
- 8.4 प्रवेश के संबंध की सभी प्रासंगिक जानकारी इस मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी
- 8.5 इस मोबाइल नंबर की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय भी होगी।
- 8.6 वैकल्पिक मोबाइल नंबर
- 8.7 फोटो जेपीईजी (jpeg) प्रारूप में
- 8.8 स्कैन हस्ताक्षर जेपीईजी प्रारूप में
- 8.9 स्कैन दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप (Right Hand Thumb Impression)
- 8.10 हाई स्कूल की अंकतालिका
- 8.11 फोटो आईडी प्रूफ (संख्या भरने के लिए)
- 8.11.1 निम्नांकित में से किसी एक फोटो परिचय पत्र की संख्या आवेदक को अपने ऑनलाइन आवेदन में यथा स्थान पर भरनी होगी : आधार कार्ड, वोटर आई.डी., ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट
- 8.12 जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते समय OBC, SC तथा ST आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र की संख्या भरनी होगी। यह प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउंसिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-युक्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



9

ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया

ONLINE APPLICATION PROCESS

- 9.1 फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान आवेदक अपना विवरण अंकित कर उनको **save** कर सकते हैं।
- 9.2 यदि किसी कारणवश आवेदक की फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है तो आवेदक दोबारा लॉग इन करके उसी जगह से प्रक्रिया को प्रारम्भ कर सकता है। उसे दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना होगा। आवेदक को चाहिए कि वह आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व पूरी जानकारी फिर से ध्यान पूर्वक पढ़ ले। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि रह गयी है या तो उसे एडिट कर लें अथवा पूरी प्रक्रिया दोबारा कर सकता है। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद पंजीकरण के समय दी गयी जानकारी किसी भी स्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- Step 1 पंजीकरण**
- आवेदकों को अपनी जानकारी यहाँ देनी होगी। यह विवरण बाद में परिवर्तित/संपादित नहीं किया जा सकेगा। आवेदकों को पंजीकरण के समय प्रदान मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर लॉग-इन विवरण भेजा जाएगा।
- Step 2 व्यक्तिगत विवरण**
- आवेदकों को अपना व्यक्तिगत विवरण भरना होगा।
- Step 3 शैक्षणिक योग्यता**
- आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता भरनी होगी। अंक तालिकाएं में उल्लिखित सभी विषयों के अंकों के डालें।
- Step 4 परीक्षा के लिए शहरों का चयन**
- किन्हीं तीन शहरों का चयन अपनी सुविधा अनुसार करिये।
AGRA, BAREILLY, GORAKHPUR, LUCKNOW
- Step 5 फोटो स्कैन हस्ताक्षर तथा दाहिने हाथ के अंगूठे की छाप अपलोड**
- Step 6 पूर्वावलोकन**
- इस समय आवेदक फॉर्म में भरी सम्पूर्ण जानकारी को पुनः देख सकता है। यदि फॉर्म में कोई त्रुटि रह गयी है या तो उसे एडिट कर लें अथवा पूरी प्रक्रिया दोबारा कर सकता है। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद पंजीकरण के समय दी गयी जानकारी किसी भी स्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- Step 7 आवेदन शुल्क**
- यदि फॉर्म में भरी सम्पूर्ण जानकारी सही है तो आवेदक फॉर्म को सबमिट कर आवेदन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। आवेदन शुल्क निम्नवत् माध्यमों द्वारा जमा किया जा सकता है :-
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग
- Step 8 आवेदन फॉर्म प्रिंट**
- आवेदक अब अपना भरा हुआ आवेदन फॉर्म तथा फीस रसीद प्रिंट कर सकता है। इसी के साथ उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



10

प्रवेश पत्र

ADMIT CARD

10.1

No admit card will be sent by post. Admit Card shall be available for downloading only on the assigned website for CPAT-2017, www.cpatup2017.in. Admit Card can be downloaded using your valid Registration Number and Password (received at the time of registration) from September 29, 2017 onwards. Candidate should provide their valid e-mail/mobile number to receive important informations.

प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र इंटरनेट पर CPAT-2017 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in पर ही उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक 29-09-2017 से download कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरते समय प्रयोग किये गये Registration Number तथा Password की आवश्यकता होगी। कृपया अभ्यर्थी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए अपना वैध ई-मेल/मोबाइल नम्बर अवश्य उपलब्ध करायें।

10.2

प्रवेश पत्र इंटरनेट पर CPAT-2017 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थी इंटरनेट से प्रवेश पत्र स्वतः डाउनलोड कर रंगीन प्रिन्ट करेंगे। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा न ही कोई डुप्लिकेट प्रवेश पत्र जारी होगा। यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा कि प्रथम वरीयता नगर में से ही उसे केन्द्र आवंटित किया जायेगा, परन्तु परीक्षा संस्था प्रथम वरीयता नगर के अतिरिक्त द्वितीय एवं तृतीय वरीयता नगर में भी केन्द्र आवंटित कर सकती है एवं उसका निर्णय अन्तिम होगा। इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का पत्राचार अथवा आवेदन पोषणीय नहीं होगा। अभ्यर्थी CPAT वेबसाइट पर अपना अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र ज्ञात कर सकता है।

10.3

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसे सी.पी.ए.टी.-2017 के लिए अर्ह पाया गया हो और जो किसी भी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो, परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अगले वर्षों के सी.पी.ए.टी. के लिए समायोजित किया जायेगा।

10.4

अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही सी.पी.ए.टी.-2017 में बैठने की अनुमति दी जायेगी। एक बार आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10.5

यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को सी.पी.ए.टी.-2017में बैठने की अनुमति दे दी जाती है जिसे परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो, चाहे उस अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र दे दिया गया हो, और उस प्रवेश पत्र को सी.पी.ए.टी.-2017 परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो भी चेयरमैन, सी.पी.ए.टी.-2017को अधिकार है कि वह परीक्षा में बैठने की इस अनुमति को निरस्त कर सकता है।

11

अनुचित साधन

UNFAIR MEANS

11.1

सी.पी.ए.टी.-2017में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर चाहे उनका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को निरस्त कर दिया जायेगा। परीक्षा स्थान पर कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, लॉगटेबल, लैपटाप पेजर या सेल्यूलर फोन, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेकर जाना या प्रयोग करना या अन्य किसी अवांछनीय वस्तु या माध्यम का प्रयोग करना अनुचित साधनों (Unfair Means) का प्रयोग करना माना जायेगा।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



12

परीक्षाफल / मेरिट सूची की घोषणा :

DECLARATION OF RESULT/MERIT LIST

- 12.1 सी.पी.ए.टी.-2017 के परीक्षाफल / मेरिट सूची / प्राप्तांकों की सूचनायें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की CPAT-2017 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in पर प्रकाशित होगी। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो आवश्यक संशोधन भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जायेगा (इसके अलावा अगर कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप अनाधिकृत रूप से प्रकाशित करता है एवं उसमें गलतियां रह जाती हैं और इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता है तो इसके लिए चेयरमैन, सी.पी.ए.टी.-2017, उत्तर प्रदेश शासन अथवा चेयरमैन काउन्सिलिंग बोर्ड किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे व उसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा)।
- 12.2 परीक्षाफल / मेरिट सूची CPAT-2017 के लिए निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डाक द्वारा नहीं भेजी जायेगी।
- 12.3 प्रवेश परीक्षा के पश्चात् दिनांक 6–10–2017 को परीक्षा उत्तर कुंजी (Answer Key) एवं प्रश्न–पत्र बुकलेट वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी (Answer Key) अथवा प्रश्न–पत्र बुकलेट के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 8–10–2017 को मध्याह्न 12:00 बजे तक ईमेल cpatup2017@gmail.com पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

13

काउन्सिलिंग

COUNSELLING

- 13.1 परीक्षाफल घोषित हो जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-2061/71-2-11- 90/05 दिनांक 05-07-2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वीडियो कान्फ्रैन्सिंग के माध्यम से काउन्सिलिंग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ.प्र., लखनऊ द्वारा करायी जायेगी। काउन्सिलिंग की तिथियाँ व कार्यक्रम परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त प्रकाशित किया जायेगा।
- 13.2 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम सी.पी.ए.टी.-2017 में उसके प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के चारों विषयों के प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है, तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः संबंधित अभ्यर्थियों के जन्तु विज्ञान के प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों में मेरिट क्रम में किया जायेगा। जन्तु विज्ञान के प्रश्न पत्र में भी एक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर रसायन विज्ञान के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक का अवधारणा न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों को भौतिक विज्ञान के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम जन्मतिथि के आधार पर (ज्येष्ठ को वरीयता) निर्धारित किया जायेगा।
- 13.3 सी.पी.ए.टी.-2017 की काउन्सिलिंग हेतु छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क (सिक्योरिटी धनराशि रु. 5000/- तथा काउन्सिलिंग शुल्क रु. 500/-) बैंक के माध्यम से अभ्यर्थियों ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा किया जाना है।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी नहीं है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



14 कालेजों की सूची / पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या

(List of Colleges, Courses and Available Seats)

14.1 उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
1.	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय लखनऊ।	50
2.	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय वाराणसी।	40
3.	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय झौसी।	40
4.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय हण्डिया इलाहाबाद।	30
5.	एस.आर.एम. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय बरेली	40
6.	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय अतर्रा-बांदा	40
7.	स्वामी कल्याण देव राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय, रामपुर-मुजफ्फरनगर	30
8.	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एंव चिकित्सालय, पीलीभीत	50
	राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में सीटों की संख्या का योग	320

निजी क्षेत्र में स्थापित आयुर्वेद महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
1.	वैद्य यज्ञ दत्त षर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, खुर्जा बुलन्दशहर	100
2.	मेजर एस.डी. सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, फर्रुखाबाद।	100
3.	श्री धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मथुरा।	50
4.	श्री सौई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, अलीगढ़।	100
5.	बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, फर्रुखाबाद	100
6.	बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, फर्रुखाबाद।	100
7.	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, अलीगढ़	60
8.	शान्ति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, बलिया	60
9.	डा० केंजी० डी० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, झौसी	50
10.	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय एण्ड हास्पिटल चोलापुर, वाराणसी।	60
11.	जी.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	100
12.	प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हाथरस।	60
13.	विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, वाराणसी।	100
14.	श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हास्पिटल, मेरठ।	60
15.	श्री रामचन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल, लखनऊ	60
16.	इन्स्टीट्यूट आफ आयुष मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ।	100

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षाधिरियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम
(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
17.	प्रकाश इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइसेंज बुलन्दशहर।	60
18.	एस.आर.एस. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आगरा।	60
19.	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मऊ।	100
20.	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	60
21.	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, चन्दौली।	60
22.	सन्तुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मिर्जापुर।	100
23.	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बरेली।	100
24.	शहीद नरेन्द्र कुमार आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, अलीगढ़।	60
25.	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ।	50
26.	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अमरोहा।	100
27.	के.वी. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज आगरा।	100
28.	आर. के. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज आजमगढ़।	60
29.	आर.बी. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज आगरा।	100
30.	जे.डी. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अलीगढ़।	100
31.	घनवन्तरी आयुर्वेदिक कालेज बरेली।	60
32.	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव रिसर्च सेन्टर, कासगंज।	60
33.	एस.के.एस. आयुर्वेदिक कालेज एंव हास्पिटल मथुरा।	100
34.	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल सहारनपुर।	100
35.	कुवर विजेन्द्र आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज सहारनपुर।	100
36.	के.वी.एस. आयुर्वेदिक कालेज गाजीपुर।	100
37.	एन्केराइट मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल मोहनलालगंज लखनऊ	100
38.	एस.एन.एस.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल गाजीपुर।	60
39.	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइसेज एण्ड रिसर्च सेटर, मोहनलालगंज, लखनऊ	100
40.	डब्लू.टी.एम. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल अमरोहा।	100
41.	महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल मेरठ।	100
42.	अलीगढ़ यूनानी एंव आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज अलीगढ़।	60
43.	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज मुजफ्फरनगर।	100
44.	विवेक कालेज आफ आयुर्वेद बिजनौर।	100
45.	एस.जी.एम. आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज गाजीपुर।	100
46.	ग्लोकल कालेज आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर सहारनपुर	100
47.	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कौशाम्बी	60
	निजी क्षेत्र मे स्थापित आयुर्वेद कालेजों में सीटों की संख्या का योग	3870

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एंव वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश मे किसी विसंगति की स्थिति मे शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के यूनानी कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण

राजकीय यूनानी महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
1.	राजकीय तकमिल उत्तिब कालेज लखनऊ	40
2.	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज इलाहाबाद।	40
	राजकीय यूनानी कालेजों में सीटों की संख्या का योग	80

निजी क्षेत्र के यूनानी महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
1.	इन्ने सीना तिब्बिया कालेज एंव हास्पिटल बीनापारा आजमगढ़।	50
2.	जामिया तिब्बिया कालेज एंव हास्पिटल देवबन्द सहारनपुर।	60
3.	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज हास्पिटल एंव रिसर्च सेन्टर देवबन्द सहारनपुर।	60
4.	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए०सी०एन० हास्पिटल मुजफ्फरनगर।	60
5.	अलीगढ़ यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड ए०सी०एन० हास्पिटल अलीगढ़।	60
6.	शम्मे— गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज सहेडी गाजीपुर।	40
7.	इरम यूनानी मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल कुर्सी रोड लखनऊ।	60
8.	डा० अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एंव हास्पिटल मलिहाबाद लखनऊ।	50
9.	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल सम्बल, मुरादाबाद।	50
10.	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज एंव हास्पिटल देवमई फतेहपुर।	60
11.	ग्लोकल कालेज आफ यूनानी मेडिकल साइंस एंव रिसर्च सेन्टर सहारनपुर।	100
	निजी क्षेत्र में स्थापित यूनानी कालेजों में सीटों की संख्या का योग	650

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।



कम्बाइण्ड प्री-आयुष टेस्ट (सी.पी.ए.टी.) 2017

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

उत्तर-प्रदेश राज्य के बी.ए.एम.एस., बी.यू.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम

(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)



उत्तर प्रदेश के राजकीयएवं निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या का विवरण

राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
1.	राजकीय नेषनल होम्योपैथ मेडिकल कालेज लखनऊ	50
2.	राजकीय लाल बहादुर घास्त्री आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद	50
3.	प० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कालेज कानपुर	50
4.	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथी मेडिकल कालेज मुरादाबाद।	40
5.	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथी मेडिकल कालेज गाजीपुर	50
6.	राजकीय ड० बृज किषोर होम्योपैथी मेडिकल कालेज फैजाबाद।	30
7.	राजकीय श्री दुर्गाजी होम्योपैथी मेडिकल कालेज आजमगढ़।	30
राजकीय होम्योपैथिक कालेजों में सीटों की संख्या का योग		300

निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	कालेज का नाम	सीट संख्या
1.	बैक्सन हौमयोपैथी मेडिकल कालेज ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्ध नगर।	100
2.	नैमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कालेज आगरा	100
निजी क्षेत्र में स्थापित होम्योपैथिक कालेजों में सीटों की संख्या का योग		200

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश-परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता-सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे-काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण-पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।